



पत्रांक: 265/भाविवि/कुसका/2024

दिनांक: 24 फरवरी, 2024

कार्य परिषद् आकस्मिक बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 24 फरवरी, 2024 को अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :
 बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो० एन०बी० सिंह, मा० कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायण वोक्शेनल पी०जी० कॉलेज (के०के०बी०), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो० ललिता राव, (सेवानिवृत्त) बी०एड० विभाग उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी०जी० कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
4.	डॉ० तहरीर फातिमा, संकायाध्यक्ष-विज्ञान	सदस्य
5.	प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी	सदस्य
6.	प्रो० एहतेशाम अहमद, आचार्य-वाणिज्य सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
7.	प्रो० सौबान सईद, आचार्य-उर्दू सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
8.	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, आचार्य-उर्दू विभाग।	सदस्य
9.	प्रो० चन्दना डे, आचार्य-शिक्षाशास्त्र विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
10.	डॉ० मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य-शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	डॉ० अताउर्रहमान आजमी, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	श्री साजिद आजमी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
13.	डॉ० भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा माननीय कार्य परिषद् को अवगत कराया कि श्री फौजान अलावी जी ने दूरभाष पर सूचित किया है कि वे विदेश में हैं एवं नेटवर्क समस्या के कारण बैठक में ऑनलाइन रूप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

Omisha

R



बिन्दु संख्या – 01 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित (ऐसे पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनमें विगत 05 वर्षों से नहीं चल रहे हैं) विभागों/पाठ्यक्रमों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित (ऐसे पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनमें विगत 05 वर्षों से नहीं चल रहे हैं) विभागों/पाठ्यक्रमों की हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार की गई सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या – 02 :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में पूर्व से सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किये गये आरक्षण एवं रोस्टर के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में पूर्व से सृजित पदों पर हिन्दी वर्णमाला क्रमानुसार तैयार किये गये आरक्षण एवं रोस्टर पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या – 03 :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति हेतु विज्ञापित किये जाने वाले पदों की तालिका के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में भेषजी संकाय, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय और विधि अध्ययन संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकतानुसार नियुक्ति हेतु विज्ञापित किये जाने वाले पदों की तालिका पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या – 04 :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति हेतु तैयार किये गये आवेदन पत्र एवं विज्ञापन आदि के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु परिनियमावली, शासनादेशों एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर आवेदन पत्र व वृहद् विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर आगामी कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु

Amisha

[Signature]



कुलसचिव को निर्देशित किया गया। उक्त इस सम्बन्ध में प्रारूप पूर्व से गठित समिति द्वारा तैयार कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अन्य बिन्दु संख्या - 1

प्रो० माहसुख मिर्जा, आचार्य, वाणिज्य विभाग द्वारा कुलसचिव को सम्बोधित ई-मेल के माध्यम से प्राप्त दो पत्र क्रमशः दिनांक 03.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा प्रो० माहसुख मिर्जा, आचार्य, वाणिज्य विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त दो पत्र क्रमशः दिनांक 03.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 को पटल पर प्रस्तुत किया गया। कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि प्रो० मिर्जा ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यपरिषद् की कतिपय वीडियो रिकार्डिंग की मांग की है। माननीय कार्य परिषद् द्वारा पत्रों का संज्ञान लेते हुए विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“अनुशासनिक समिति द्वारा की गयी जाँच एवं तत्संबंधी जाँच आख्या के तथ्यों से वीडियो रिकार्डिंग का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रो० माहसुख मिर्जा द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या- FVC/KMCLU/03 MMS दिनांक 03.02.2024 एवं पत्रांक संख्या FVC/KMCLU/15/16/MMF दिनांक 15.02.2024 द्वारा वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है। प्रो० माहसुख मिर्जा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम रूप से पत्र प्राप्त होने की तिथि से दस (10) दिन का समय प्रदान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि यदि निर्धारित समयवधि (10 दिन) में प्रो० मिर्जा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह मानते हुए कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।”

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो० पंकजी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष